Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 3, Issue 2 - 2018

भारत में वृद्धजन कल्याण की विभिन्न नीतियाँ एवं कार्यक्रम (POLICIES AND PROGRAMMES FOR THE WELFARE OF THE OLDER PERSON IN INDIA)

डॉ. नवल सिंह राजपूत*

शोध सार (Abstract)

20वीं सदी के पूर्व भारत में परम्परागत परिवार की धारणा का प्रचलन था। इस तंत्र में परिवार के सभी सदस्यों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा परिवार में ही प्रदत्त थी तथा वृद्ध व्यक्ति को सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा प्रदान किया जाता था। वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया माना जाता था। नगरीकरण, औद्योगीकरण तथा आधुनीकीकरण ने संयुक्त परिवार की नींव कमजोर कर दी तथा एकाकी परिवारों का प्रचलन बढ़ा दिया है। वर्तमान मे वृद्ध व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति असुरक्षा के दौर से गुजर रही है। भारत में सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को देखा जाए तो भारतीय संविधान की धारा 91 (अनुच्छेद 41) में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को निदेशित किया गया है कि राज्य अपनी क्षमता के अनुरूप वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा, कल्याण व विकास का कार्य करेगी। संविधान के अनुच्छेद–42 तथा 47 में वृद्धों के सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित निर्देश दिये गये हैं। वरिष्ठ नागरिकों के न्यूनतम स्तर में गुणवत्ता लाने की जिम्मेदारी राज्य की है। सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्यनिधि के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अंशदायी भविष्यनिधि दी जाती है। अंशदान किये बगैर भविष्यनिधि के अन्तर्गत, औद्योगिक क्षेत्र के कामगार नहीं आते है। इसमें सरकारी विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी आते हैं। परम्परागत सामाजिक सुरक्षा तंत्र धीरे–धीरे समाप्त हो रहा हैं तथा सरकार द्वारा सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा से सम्बधित कार्यक्रमों व नीतियों का प्रचलन तथा महत्व बढ़ रहा हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत जीवन बीमा, बचत सम्बन्धी बीमा, खाद्य सुरक्षा आदि कार्यक्रम चलाये गये है। इस परिस्थिति मे सकट की स्थिति तब बनती है जब सरकार भी उसकी सहायता से बचती हैं। ऐसी स्थिति में वृद्ध व्यक्ति अपने आपको ठगा सा अनुभव करते हैं। अत इस समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर अध्ययन किया गया हैं।

सूत्रशब्दः समता, समानता, स्वतन्त्रता, एकाकीपन, वृद, कार्यक्रम, समस्या, नीतियाँ।

*सहायक आचार्य, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, उदयपुर।
Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

प्रस्तावना

भारत सहित पूर्वी संस्कृतियों में वृद्धजनों की देखभाल अधिकांशतः परिवार द्वारा की जाती है अर्थात परिवार के सदस्य जैसे कि पति–पत्नी, बहुए या बेटियां मुख्यतया वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करती हैं। लेकिन सामान्यतः बहुओं द्वारा ही देखभाल की जाती है। बेटियों द्वारा देखभाल हमारी संस्कृति में अधिक नहीं की जाती थी क्योंकि शादी के बाद वे अपनी ससुराल चली जाती हैं। वर्तमान में आधुनिक परिवारों में देखा गया है कि बहुत ही कम देखभाल करवाने वाले के बीच मधुर सम्बन्ध बनना बहुत नाजुक काम है और ये सम्बन्ध मधुर तभी हो पाते है जब दोनो में एक–दूसरे के लिए बहुत सद्भाव हो। आज जो समाज कि सामाजिक संरचना है, उसमें वृद्धों की उपेक्षा हर स्तर पर हो रही है। ''लगे रहो मुन्ना भाई'' फिल्म जिन लोगों ने देखी है उन्हें अमीर परिवारों में बूढे व्यक्तियों की एक झलक मिलती है। फिल्म की अभिनेत्री छह बच्चों (बुजुर्गों) को एक घर में पालती है। अभिनेता संजय दत्त ने गांधीगीरी का कमाल एक ऐसे बेटे के दिमाग को ठीक करके बताया है जिसके परिवार के वृद्ध की उपेक्षा करता है। इसी तरह इस फिल्म में वृद्धों की पारिवारिक उपेक्षा को ही दर्शाया नहीं गया है, अपितु सरकारी तंत्र की कमजोरियों का भी उल्लेख किया गया है। वृद्धों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिये भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आधुनिकरण, औद्योगिकरण व नगरीकरण ने युवा व वृद्ध पीढ़ी की दूरीयों में एकाएक वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप कई वृद्ध दम्पतियों को नगर या गांव में अकेला रहना पड़ रहा है। मेडिकल और स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान, दवाईयाँ व प्रौधोगिकी ने मानव आयु में वृद्धि की हैं लेकिन संयुक्त परिवार की तरह सामाजिक सुरक्षा समाज में उपलब्ध नहीं की जा सकती है। नए परिवर्तित समाज में सरकार द्वारा 'वद्धाश्रम' (Old Homes) विकसित हो रहे हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं है और ना सबके लिए सम्भव है। मात्र उच्च या उच्च–मध्यम वर्ग के परिवार ही लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सामाजिक दायरे व सम्बन्ध वहां (वद्धाश्रम में) नही हैं जिनमें व्यक्ति जीवन का अधिकांश समय गुजारता है। अतः इस समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर अध्ययन किया गया हैं।

सम्बन्धीत साहित्य का अध्ययन

इस क्षेत्र में हुए विभिन्न अध्ययनों का सार संक्षेप में अधोलिखित है–

राजीव रंजन के अनुसार केन्द्र सरकार ने बुजुर्गों, ग्रामीण बालिकाओं, सामाजिक न्याय से वंचित वर्गों, विकलांग जनों व बेरोजगारों और अशिक्षित युवकों के कल्याणार्थ कुछ कार्यक्रमों की घोषणा की है। जिनमें से कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया गया है जबकि कुछ योजनाओं को अमल में लाने का कार्य जारी है। केन्द्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिक, पेंशन योजना लागू की गई है। प्रो. पी.वी. मूर्ति के अनुसार विश्व के अधिकांश देशों की वृद्ध जनसंख्या का जीवन स्तर संतोषप्रद नहीं है तथा आर्थिक रूप से पिछड़े देश जैसे भारत, पाकिस्तान आदि राष्ट्रों की स्थिति तो और भी विकट है। आधुनीकीरण, संयुक्त परिवार का हास, स्थानान्तरण, पूंजी बाजार तथा समाज में स्वास्थ्य संबंधी सुविधा की कमी के कारण, वृद्ध व्यक्तियों का जीवनस्तर ऊँचा नहीं उठ पा रहा है। आर.बी.एल. गर्ग के अध्ययन के अनुसार देश के अधिकांश बूढ़े उपेक्षित और कष्ट साध्य जीवन जी रहे हैं। वृद्धों की उपेक्षा के अनेक कारण बताए गये हैं। उनमें मुख्य जीवनयापन की बढती हुई

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

लागत, दो पीढ़ियों की व्यापक बढ़ती खाई, नैतिक मूल्यों का तेजी से हो रहा पतन, युवा पीढ़ी की स्वतन्त्रतापूर्वक अलग रहने की चाह, उपेक्षा के शिकार वृद्ध मनोदशा, अस्थि दुर्बलता, गठिया, उच्च रक्तचाप आदि रोगों की चपेट में आकर वृद्ध न केवल गतिहीन हो जाते हैं अपितु दयनीय भी। अनेक मामलों में वृद्धों के स्वास्थ्य अच्छे नहीं होने के बावजूद वे विषम कार्य करने को मजबूर होते हैं। सरकार का मानना है कि वृद्ध लोगों की देखभाल का आंशिक उत्तरदायित्व सरकार का बनता है अन्यथा यह परिवार का उत्तरदायित्व है। आर्थिक असुरक्षा, स्वास्थ्य की शिथिलता और अकेलेपन का अहसास वृद्धावस्था की तीन मुख्य समस्याएं हैं। उपरोक्त सम्बन्धित साहित्य का गहन अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि आधुनिकता के बदलते परिवेश में वृद्ध वर्ग समाज का एक कमजोर व दयनीय वर्ग बन गया है। वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया माना जाता था। नगरीकरण, औद्योगीकरण तथा आधुनीकीकरण ने संयुक्त परिवार की नींव कमजोर कर दी तथा एकाकी परिवारों का प्रचलन बढ़ा दिया है। वर्तमान में वृद्ध व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति असुरक्षा के दौर से गुजर रही है।

अनुसन्धान पद्धति (RESEARCH METHODOLOGY)

शोध आकल्प (Research Design)

अनुसन्धान विश्लेषणात्मक प्रकृति का है जो कि द्वितीय सनकों पर आधारित है जिसे समाचार–पत्रों, पुस्तकों, पत्रिकाओं व जर्नल से सकंलित किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में वृद्धजन कल्याण की विभिन्न नीतियाँ एवं कार्यक्रमों का अध्ययन करना है।

भारत में सरकार द्वारा वृद्धों के कल्याण, सुरक्षा व जीवन–स्तर में गुणात्मक वृद्धि के लिए अनेक नीतियाँ एवं कार्यक्रम चलाये गये हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है .

1. प्रशासनिक व्यवस्था (ADMINISTRATIVE SET-UP)

भारत मे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (The Ministry of Social Justice and Empowerment) को वृद्धजन कल्याण के लिये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों व नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन के लिए अधिकृत (नोडल संस्था के रूप में) कर रखा है। यह मंत्रालय राज्य सरकारों, स्वयं सेवी संस्थानों व विभिन्न सिविल सोसायटी के साथ साझा सहयोग से देश में विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्य कर रहा है। वृद्धों के सामाजिक, स्वास्थीय, आर्थिक, मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के लिये वृद्धाश्रम (old age homes) डे–केयर सेन्टर, मोबाईल मेडिकेयर यूनिट आदि व्यवस्थाओं का भी संचालन इस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है।

2. सवैधानिक प्रावधान (CONSTITUTIONAL PROVISIONS)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 (Article 41) में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत राज्य को निर्देशित किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक एवं विकास की क्षमता के अनुरूप, वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की प्रभावपूर्ण सुरक्षा व शिक्षा देगा तथा बेरोजगारी की दशा में, बिमारी में, विकलांगता में व अन्य किसी भी अभाव में भी सहायता करेगी। अनुच्छेद 47 (Article 47) के अनुसार राज्य अपने वरिष्ठ नागरिकों के पोषण (Nutrition) व जीवन की गुणवत्ता के स्तर में वृद्धि के लिये कार्य करेगी। यह राज्य की जिम्मेदारी है।

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

3. वैधानिक प्रावधान (LEGISLATIVE PROVISION)

भारत में वृद्धजनों के कल्याण एवं भरण–पोषण की आवश्यकताओं को देखते हुए दिसम्बर 2007 में वृद्धजन कल्याण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 2007 (The Maintenance and welfare of parents and senior citizens Act, 2007) को लागु किया गया। इस कानुन के मुख्य प्रावधान निम्न है :

- प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक/ अभिभावक/ दादा–दादी जो अपनी आय से अपना भरण–पोषण नहीं कर सकते हैं, वे अपने सन्तानों (बालिग) से भरण–पोषण के लिए दावा कर सकते हैं।
- वे वरिष्ठ जन जिनकी कोई सन्तान नहीं है तथा उनकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी रिश्तेदार हैं तो, भरण–पोषण का दावा वृद्ध जन के रिश्तेदारों पर भी किया जा सकता है।
- राज्य सरकार, जिला स्तर या उप जिला स्तर पर भरण–पोषण के लिये न्यायालय की स्थापना करेगी। जहाँ वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक, भरण–पोषण के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
- यदि अभिभावक या वरिष्ठ नागरिक अपना आवेदन स्वयं प्रस्तुत नहीं करने में असमर्थ है तो उनकी तरफ से कोई भी व्यक्ति या स्वयं सेवी संस्थान भी आवेदन कर सकती है।
- न्यायलय द्वारा भरण–पोषण के लिए 10,000/– (दस हजार रूपये) तक का भत्ता, वृद्धजन/अभिभावक के सन्तानों या रिश्तेदार से दिलाने का आदेश दे सकती है।
- वृद्धजन/अभिभावक द्वारा आवेदन देने के 90 दिन (Ninety Days) के भीतर न्यायालय अपना निर्णय सुनायेगी।
- राज्य अपने जिला स्तर पर अपीलीय न्यायालय (Appellate Tribunal) की स्थापना करेगी जहाँ भरण–पोषण न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध अपील दायर की जा सके।
- भरण–पोषण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय में वकील पक्षों की पैरवी नहीं करेगे।
- इस अधिनियम लागु होने के बाद यदि वृद्ध जन के सन्तान या रिष्तेदार सम्पत्ति का हस्तांतरण अन्य को कर देते है एवं वृद्धजन/अभिभावक को उपेक्षित करते है तो सम्पत्ति का हस्तान्तरण रद्द भी किया जा सकता है।
- राज्य सरकार, वरिष्ठ जन/अभिभावक का न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी या उसी पद के समानांतर किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।
- वरिष्ठ जन/अभिभावक का परित्याग करने पर 3 माह का कारावास या 5000/– का जुर्माना या दोनो दण्ड दिया जा सकता ळें

भारत में दण्ड प्रक्रिया सहिंता (The criminal procedure code) व हिन्दु दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम भी वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है।

4. राष्ट्रीय वृद्धजन नीति–1999 (NATIONAL POLICY FOR OLDER PERSON–1999)

वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं को कम करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 1999 में राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति (NPOP) घोषित की जिसके मुख्य प्रावधान निम्न है:

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

- वृद्ध जन के लिये राज्य स्तर पर पृथक निदेशालय की स्थापना करना।
- वृद्धजनों के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत पृथक संस्थान की स्थापना करना।
- वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय स्वायत संगठन (Autonomous National Association) की स्थापना करना।
- वृद्धजनों के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करना।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme)।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिये कर में रियायत।
- वृद्ध स्वास्थ्य सेवाओं, परामर्श सुविधाओ में वृद्धि करना।
- वृद्धों के कल्याण के लिये काम कर रही गैर सहकारी संस्थाओं व नीजी अस्पतालों को रियायती दर पर जमीन व अनुदान देना।
- आवासीय योजनाओं में वृद्धजन के लिये 10 प्रतिशत अलग से आरक्षित करना तथा ऋण प्राप्ति के सरलीकरण करना।
- आवासीय योजनाओं की संरचना वृद्धजन के प्रति संवेदनशील हो तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप हो।
- वृद्ध जन से सम्बन्धित सम्पति हस्तांतरण, नामांतरण व सम्पत्ति कर के मामलों मे शीघ्र निपटारा हो।
- वृद्धाश्रमों के निर्माण व मरम्मत, डे केयर सेन्टर, बहुआयामी सेवा केन्द्र व असक्षमता से सम्बन्धित उपकरणों व यंत्रों आदि में सहायता करना।
- वृद्ध जन कल्याण हेतु कल्याणकारी कोष (welfare fund) की स्थापना करना।

5. राष्ट्रिय वृद्ध जन नीति–2011 (NATIONAL POLICY ON SENIOR CITIZENS–2011)

सन् 2010 मे, राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति – 1999 के 10 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। भारत सरकार ने वृद्धजन नीति 1999 की समीक्षा (Review) के लिये डॉ. वी. मोहिनी गोरी समिति का गठन किया गया हैं। भारत में प्रौद्योगिकीय, औद्योगीकरण व जनसंख्यात्मक क्षेत्र में परिवर्तन से विकास व समस्याओं के नये आयाम स्थापित हो रहे हैं। अतः इन सभी परिवर्तनो की प्रक्रिया के महत्व को देखते हुए, एक नयी वृद्ध जन नीति के निर्माण की आवष्यकता अनुभव की जा रही थी। डॉ. वी मोहिनी समिति को एक नयी राष्ट्रिय वृद्धजन नीति का प्रारूप बनाने के लिये भी अधिकृत किया गया था। इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय वृद्ध–जन नीति 2011 (National Policy on Senior Citizens 2011) के मुख्य प्रावधान निम्न है:

- राष्ट्रीय स्तर के सम्मान जैसे पद्म श्री, पद्म विभुषण, कला व संस्कृति के राष्ट्रीय सम्मान, सैन्य सम्मान आदि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिये आजीवन स्वास्थ्य सुविधाएँ निःशुल्क देनी चाहिये।
- वृद्ध जन के लिये एक पृथक विभाग (Department of Senior Citizens) की माँग की गई है।
- समिति ने वृद्ध जनों के लिये एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की है।
- वृद्ध जनों की सेवा समाप्ति के पश्चात, उनकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित स्तर तक ले जाने के लिये आय सृजित रोजगार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

- वृद्ध जन पेंशन योजना का दायरा गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालो से बढ़ाकर समस्त वृद्ध जनों तक करना चाहिये।
- गारिक वृद्ध जन पेंशन को 1000/– (एक हजार रूपये) प्रतिमाह करना चाहिये तथा समय–समय पर अप रफीति होने पर बढ़ाना चाहिये।

6. राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रम –1995 (NATIONAL SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMME–1995, NSAP)

भारत सरकार ने राज्य के नीति निर्देषक तत्वों के अन्तगर्त वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारम्भ किये जिसके द्वारा वृद्ध जनों के न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे है :

(1) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्षन योजना (INDIRA GANDHI NATIONAL OLD AGE PENSION SCHEME)

इस योजना का प्रारम्भ 19 नवम्बर 2007 को की गयी थी। जिसमें 60-79 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हे प्रतिमाह 300/– रूपये पेशन के रूप में सहायता राशि दी जाती है। पहले पेंशन का प्रावधान सिर्फ निराश्रितो को था जो राष्ट्रीय वृद्धजन पेन्शन योजना (NOAPS) के अन्तगर्त दी जाती थी। अब नयी व्यवस्था से इसके लाभार्थी 87 लाख से 160 लाख तक पहुँच गये हैं। जुन 2011 में इस योजना के लाभार्थियों की आयु 65 वर्ष से 60 वर्ष कर दी तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध जनों कि पेंशन 200/– से बढ़ाकर 500/– रूपये प्रतिमाह कर दी गई। पेंशन प्राप्ति की आयु की पात्रता में परिवर्तन करने से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWP) व इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (IGNDP) में भी आयु–पात्रता क्रमशः 40 से 64 वर्ष के स्थान पर 40 से 59 वर्ष व 18 से 64 वर्ष के स्थान पर 18 से 59 वर्ष कर दी गयी।

(2) अन्नपूर्णा योजना (ANNAPURNA SCHEME)

भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय ने वर्ष 2000–2001 में इस योजना का प्रारम्भ किया था। इस योजना में जो निर्धन वृद्ध व्यक्ति, 65 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु का है तथा जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेषन योजना (NOAPS) के अन्तर्गत पात्र है लेकिन पेंशन नहीं ले रहे है, उसे प्रतिमाह 10 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

7. राष्ट्रीय वृद्ध जन परिषद् (NATIONAL COUNCIL FOR OLDER PERSON)

राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति 1999 के अनुसरण में राष्ट्रीय वृद्ध जन परिषद् (NCOP) की स्थापना (वर्ष 1999 में) की गई। इस परिषद की अध्यक्षता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री करते है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध जनों के कार्यक्रम व नीति बनाने व लागू करने के लिये यह परिषद् सर्वोच्च संस्था है। वर्ष 2005 में इस परिषद् को पूर्नगठन किया गया, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार के प्रतिनिधि, स्वयं सेवी संस्थान के प्रतिनिधि, सेवानिवृत्त वृद्धजन समितियों के प्रतिनिधि व विधि (law), सामाजिक कल्याण व औषधियों के विषेषज्ञ आदि सदस्य हैं।

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

8. अर्तमंत्रालयिक समीति (INTER MINISTERIAL COMMITTEE)

वृन्द्व जनो के कल्याण के लिये विभिन्न मन्त्रालयों व विभागों द्वारा चलाये जो रहे कार्यक्रमों के बेहतर संचालन व समीक्षा के लिऐ, अर्तगंत्रालयिक रागिति का गठन किया गया, जिसमे 22 (बाईस) विभागों/ मन्त्रालयों के प्रतिनिधि सदस्य हैं तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव अध्यक्षता करते हैं।

9. समेकित वृद्ध जन कार्यक्रम (INTEGRATED PROGRAMME FOR OLDER PERSON [IPOP])

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1992 में वृद्व जनों के कल्याण हेतु समेकित वृद्व जन कार्यक्रम (IPOP) प्रारम्भ किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देष्य वृद्व जनों को आधारभूत सुविधाऐं जैसे–आवास, भोजन, दवाईयाँ, मनोरंजन के अवसर आदि उपलब्ध कराकर उनके गुणात्मक जीवन स्तर में वृद्धि करना है। इस हेतु यह योजना स्वयं सेवी संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं, स्थानीय प्रशासन, पचायती राज संस्थाओं की सहायता व सम्बलन देने का कार्य करती है।

इस योजना को 1 अप्रेल 2008 से पूर्नसमीक्षा कर कई परिवर्तन किये गये हैं। इस योजना में आर्थिक सहायता की राषि में वृद्धि के साथ साथ कई नवाचार योजनाएँ प्रारम्भ की है, जिसमें मुख्य प्रावधान निम्न है :

- पृद्वजन आश्रय व आश्रमों की मरम्मत के लिये आर्थिक सहायता।
- डि मेन्षिया रोगी के लिये डे केयर केन्द्र चलाना।
- वृद्धों के लिये फिजियोथेरेपी केन्द्र को स्थापना।
- वृद्व जनों के लिये सहायता केन्द्र व परामर्श केन्द्र की स्थापना करना।
- विद्यालयो व महाविद्यालयो में जागरूकता कार्यक्रम प्रारम्भ करना।
- वरिष्ठ नागरिक समिति का गठन।

10. वृद्धाश्रम निर्माण के लिये सहायता (ASSISTANCE FOR CONSTRUCTION OF OLD AGE HOMES)

पंचायती राज संस्थाओं/ स्वयं सेवी संस्थाओं/ स्वयं सहायता समुहों को, वृद्व जनों के लिये वृद्धाश्रमों/ बहु आयामी सेवा केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुदान देने के लिये वर्ष 1996–97 में यह योजना प्रारम्भ कि गई है। इस योजना के अन्तगर्त वृद्व जन आश्रम के निर्माण के लिये 50 प्रतिशत तक व अधिकतम 15 लाख तक का अनुदान दिया जा सकता है।

11. अन्तर्राष्ट्रीय वृद्व जन दिवस (INTERNATIONAL DAY OF OLDER PERSON)

प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्व दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरूआत दिल्ली के राजपथ से घोषणा के साथ हुई थी।

12. अन्य मंत्रालयों की योजनाएँ (SCHEMES OF OTHER MINISTRIES)

(अं) स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

स्वास्थ्य व परिवार मंत्रालय के द्वारा निम्न सुविधाएँ दी जा रही है:

- राजकीय अस्पतालों में वृद्धो के लिये पृथक से पंक्ति या कतार लगायी गयी है।

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

- वृद्धावस्था के लिये दिल्ली एवं चैन्नई में राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है।
- 25 अस्पतालो में जरायु विभाग (Geriatric) की स्थापना की गई है।

(ब) ग्रामीण विकास मंत्रालय (MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT)

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धों के लिये राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS) प्रारम्भ की है। पात्र व्यक्ति बी.पी.एल. (BPL) होना आवश्यक है। जिसमे राज्य व केन्द्र सरकार की बराबरी की हिस्सेदारी होती है तथा 400/– प्रतिमाह प्रति व्यक्ति को पेन्शन दी जाती है।

(स) रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAY)

- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति के लिये अलग कतार/लाईन व काउन्टर लगाये गये (यदि औसत 120 टिकट से अधिक की माँग होने पर)।
- वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा व्यय (Ticket) पर महिलाओं को 50 प्रतिशत व पुरूषों को 30 प्रतिषत रियायत दी जाती है।

(द) उड्डयन नागरिक मंत्रालय (MINISTRY OF CIVIL AVIATION)

ऐयर इण्डिया द्वारा 65 वर्ष या उससे उपर की आयु के वृद्ध पुरूष व 63 वर्ष या उससे उपर की आयु की महिलाओ को 50 प्रतिशत तक रियायत दी जाती है।

(य) वित्त मंत्रालय (MINISTRY OF FINANCE)

- वे वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के है, उन्हे सालाना 3 लाख तक आयकर से मुक्त रखा गया है।
- वे वरिष्ठ नागरिक जो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं उन्हे सालाना 5 लाख तक आयकर से मुक्त रखा गया है।
- वे व्यक्ति जिन्होने अपने अभिभावक (85 वर्ष या उससे अधिक आयु) का मेडिकल इन्श्योरेन्स करवा रखा है, उनको धारा 80D के अन्तगर्त आयकर कटौती में छुट मिलती है।
- वे व्यक्ति जिन्होने अपने अभिभावक (65 वर्ष या उससे अधिक आयु) के मेडिकल उपचार (Medical Teatment) के लिये जो राषि खर्च की है या अधिकतम 60000 रूपये तक का खर्चा किया है (जो भी कम हो) तो उन्हे आयकर में से कटौती (आयकर के नियम 11DD के अन्तगर्त उल्लेखित बिमारी), उतनी ही राषि की मिलेगी।
- बैंक अपने वरिष्ठ नागरिकों के आवर्ती जमा राशि (Fix Deposit) पर 0.50 प्रतिशत अधिक ब्याज देते हैं।

अत: परम्परागत सामाजिक सुरक्षा तंत्र धीरे–धीरे समाप्त हो रहा है तथा सरकार द्वारा सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा से सम्बधित कार्यक्रमों व नीतियों का प्रचलन तथा महत्व बढ़ रहा हैं।

संदर्भ ग्रथं सूची

[1]. Bohra, Asharani., "80 par ki umar ek anvention, ek servektion" Samaj Kalyan, C.S.W.B., Ministry of Human Resource and Development, GoI, April 2004, pp 32.

[2]. Garg, R.B.L., "Saarthak Vradhavastha ke Aayaam" Samaj Kalyan, C.S.W.B., Ministry of Human Resource Ministry of Human Resource and Development, GoI April 2004, pp 30-31.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

[3]. Ranjan, Rajiv, “Boojargon ke liye Pension Yojana”, Samaj Kalyan, C.S.W.B., Ministry of Human Resource and Development, Go I, April 2004, pp 11.
[4]. Ramamurti, P.V., Research and Development Journal, Help Age India, Vol-9, No-2 May-2003, pp-5.
[5]. Ross, Allen. D., The Hindu Family in its Urban Setting, Toronto University Press, Toronto, 1961.
[6]. Gould, H.A., "The True Dimensions of structural changes in an Indian kinship system," in Milton Singer & Bernard C. Cohen (Eds.) Structure and Change in Indian Society, Aldine, Chicago, 1968, pp.-413-21.
[7]. Kubde, B.V., "Bharat mein Vradha jano ka Kalyan" Samaj Kalyan, C.S.W.B., Ministry of Human Resource and Development, Go I, April 2004, pp 37.
[8]. State Economic Review, "Current News", Research and Development Journal, Help Age India, Vol-10, No.-1 Jan.-2004, pp-34.
[9]. Edwin, Driver.” Family Structure and Socio-Economic Status in Central India”, Sociological Bulletin, Vol.-11, Nos. -1&2, 1962, pp.112-120.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**